कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 714 राँची, दिनांक– 29.7.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC दिनांक 22.06.2022 एवं विभागीय पत्रांक वन भूमि–06/2017–1890 दिनांक 06.07.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 1132 दिनांक 29.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक वन भूमि– 06/2017–1890 दिनांक 06.07.2022 द्वारा प्रेषित भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.06.2022 द्वारा सी0सी0एल0 के के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1132 दिनांक 29.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के प्रतिवेदनानुसार पृच्छा का निराकरण निम्नवत् है :–

S.No.	Query	Compliance
1	The State Govt. after scrutiny of the relevant provisions of laws, will ascertain and inform the applicability of Forest (conservation) Act 1980 on the forest land acquired under CBA Act 1957, which has already been broken and still under the possession of the user agency i.e. still constituting the part of the project of the user agency.	आवेदित पूर्ण वनभूमि (वनभूमि जो कि 25.10.1980 के पूर्व खंडित है) जो कोयला खनन के लिए Coal bearing area (Acquisition Development) Act 1957 के अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के अधीन है, पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होंगे।
2	The IRO, Ranchi will carry out an in-depth examination of the issues related to unauthorized use of forest land allowed by the DFO concerned citing the justification of controlling the raging fires in the mining lease of user agency and a report on the same supported with documentary evidences shall be submitted to the Ministry. IRO will coordinate with the concerned authorities in the state for carrying out an in-depth examination of the matter.	इस पृच्छा का निराकरण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राँची से अपेक्षित है।

3	The State Government will re-visit the suitability of CA land especially in view of encroachment reported over an area of 6.03 acres.	अपयोजित होने वाले अधिसूचित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिये गये अधिसूचित वनभूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। बल्कि अपयोजित होने वाले गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 42.37 हे0 में से 06.03 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जो अंचल अधिकारी, खेलारी के पत्रांक 48 (ii) दिनांक 21.01.2022 से स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि वन अधिनियम, 2006 के तहत् उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं है एवं प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् उक्त जंगल–झाड़ी भूमि से जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा सकेगा।

प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29.07.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29-7

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002
e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907

पत्रांक 1132 दिनांक 29-07-2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 गैर मजरुआ जंगल झाड़ी भूमि) अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC दिनांक 22.06.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 गैर मजरुआ जंगल झाड़ी भूमि) अपयोजन प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 962 दिनांक 28.07.2022 द्वारा पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा समर्पित पत्र की छायाप्रति एवं अनुपालन प्रतिवेदन की 04 (चार) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

Anup

कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉची–834002
ई–मेलः– cf-ranchi@gov.in फोनः–(0651)–2481814 मोः–8987790111

पत्रांकः– 962 दिनांकः– 28/07/22

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषयः– सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि) अपयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC दिनांक 22.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में भारत सरकार के दिनांक 13.06.2022 को संपन्न हुई Forest Advisory Committee (FAC) की कार्रवाई में की गई तीन बिन्दुओं पर पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने अपने कार्यालय पत्रांक 3150 दिनांक 27.07.2022(छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित की है, जिस पर वन संरक्षक का मंतव्य निम्नवत् हैः–

कम0 सं0	पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनुपालन	वन संरक्षक का मंतव्य
1.	The State Govt. after scrutiny of the relevant provisions of laws, will ascertain and inform the applicability of Forest (conservation) Act 1980 on the forestland acquired under CBA Act 1957], which has already been broken and still under the possession of the user agency i.e. still constituting the part of the project of the user agency.	आवेदित पूर्ण वनभूमि (वनभूमि जो कि 25.10.1980 के पूर्व खंडित है) जो कोयला खनन के लिए Coal bearing Area (Acquisition & Development) Act 1957 के अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के अधीन है, पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होंगे।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची के मंतव्य से सहमत हूँ।
2.	The IRO, Ranchi will carry out an in-depth examination of the issues related to unauthorized use of forestland allowed by the DFO concerned citing the justification of controlling the raging fires in the mining lease	इस विषय में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।	इस विषय में भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची द्वारा कार्रवाई की जानी है।

	of user agency and a report on the same supported with documentary evidences shall be submitted to the Ministry. IRO will coordinate with the concerned authorities in the state for carrying out an in-depth examination of the matter.		
3.	The State Government will re-visit the suitability of CA land especially in view of encroachment reported over an area of 6.03 acres.	अपयोजित होने वाले अधिसूचित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिये गये अधिसूचित वनभूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। बल्कि अपयोजित होने वाले गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 42.37 हे0 में से 06.03 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जो अंचल अधिकारी, खेलारी के पत्रांक 48(प्र) दिनांक 21.01.2022 से स्पष्ट है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची के मंतव्य से सहमत हूँ।

अतः अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386

पत्रांक 3150 दिनांक 27.07.2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।

विषयः **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि) अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंगः भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F No. 8-62/2018-FC दिनांक 22.06.2022 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची का कार्यालय पत्रांक 578 दिनांक 04.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के कम में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के दिनांक 13.06.2022 को हुई सम्पन्न Forest Advisory Committee (FAC) की कार्यवाही मे की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना पदाधिकारी, के0डी0एच0 हेसालौंग परियोजना के पत्रांक 67 दिनांक 10.07.2022 द्वारा समर्पित किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	The State Government, after scrutiny of the relevant provisions of laws, will ascertain and inform the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 on the forestland acquired under CBA Act 1957, which has already been broken and still under the possession of the user agency i.e. still constituting the part of the project of the user agency	आवेदित पूर्ण वनभूमि (वनभूमि जो कि 25.10.1980 के पूर्व खंडित है), जो कोयला खनन के लिए Coal bearing Area (Acquisition & Development) Act 1957 के अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के अधीन है, पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होंगे।
2	The IRO, Ranchi will carry out an in-depth examination of the issues related to unauthorized use of forestland allowed by the DFO concerned citing the justification of controlling the raging fires in the mining lease of user agency and a report on the same supported with documentary evidences shall be submitted to the Ministry. IRO will coordinate with the concerned authorities in the State for carrying out an in-depth examination of the matter	इस विषय में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।
3	The State Government will re-visit the suitability of CA land especially in view of encroachment reported over an area of 6.03 acres.	अपयोजित होने वाले अधिसूचित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिये गये अधिसूचित वनभूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। बल्कि अपयोजित होने वाले गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 42.37 हे0 में से 06.03 एकड भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जो अंचल अधिकारी, खेलारी के पत्रांक 48(ii) दिनांक 21.01.2022 से स्पष्ट है। . . . .

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
रांची वन प्रमंडल, रांची

कार्यालय वन संरक्षक
क्रमांक 1402
दिनांक 28/07/22
अंचल डोरण्डा

CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(A subsidiary of Coal India Limited)
Office of the Project Officer,
KDH OCP, North Karanpura Area
Dist: Ranchi (Jharkhand).

Ref. No.: PO/KDH/Forest/22-23/67 Date: 10.07.22

To
The Divisional Forest Officer
Ranchi Division
Van Bahwan, Ranchi

Subject: Compliance to the queries raised by MoEF&CC
Ref : 1. MoEF&CC letter File No. 8-62/2018-FC dated 22.06.2022
2. ED Nodal, GOJ letter no. 547 dated 25.06.2022

Dear Sir,

This is to kindly bring to your notice that the proposal for forest land diversion of 126.72 ha forest land in respect of KDH OCP (Proposal no FP/JH/MIN/8374/2014 dated 05/12/2014) was forwarded by GoJ to MoEF&CC, New Delhi vide letter Van bhoomi-06/2017-1201 dated 22.04.2022.

The proposal was placed before Forest Advisory Committee on 13.06.2022. However, MoEF&CC has raised queries on three points vide letter File No. 8-62/2018-FC dated 22.06.2022.

The point wise reply to the queries is as under:

S.No	Observation	Reply
1	The State Government, after scrutiny of the relevant provisions of laws, will ascertain and inform the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 on the forestland acquired under CBA Act 1957, which has already been broken and still under the possession of the user agency i.e. still constituting the part of the project of the user agency	Forest Conservation Act, 1980 is applicable in respect of entire forest land (which means forest land broken prior 25.10.1980) within a coal mine project in the case of coal mines in/over an area vested in a Government Company under the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act 1957.
2	The IRO, Ranchi will carry out an in-depth examination of the issues related to unauthorized use of forestland allowed by the DFO concerned citing the justification of controlling the raging fires in the mining lease of user agency and a report on the same supported with documentary evidences shall be submitted to the Ministry. IRO will coordinate with the concerned authorities	Not Applicable to Project

10/07.22

	in the State for carrying out an in-depth examination of the matter	
3	The State Government will re-visit the suitability of CA land especially in view of encroachment reported over an area of 6.03 acres.	It is clarified that the area of 6.03 acres in not for the proposed CA land but falls under the area for which mining activity is proposed. This area is a part of 42.37 ha (104.69 acres) *Jangal Jhari* land under the jurisdiction of Revenue Department and is a part of proposal of diversion of a total of 126.72 ha of forest land. As per the report of Circle Officer, Ranchi vide letter no. 48(ii) dated 21.01.2022 (Annexure-1), the 98.66 acre GMJJ land is free from encroachment and the encroachment has been found on only 6.03 acre GMJJ land. However, no claim under FRA, 2006 is pending on this part of land and the consent of Gram Sabha has also been obtained. Once the approval of diversion of the said proposal including the aforementioned *Jungle Jhari* land is provided, the said encroachment will be cleared with the help of district administration and applicability of R&R policy of Coal India Limited.

This is for your kind information and further needful please.

Thanking You.

Yours faithfully,

General Manager (M)/
Project Officer
KDH OCP

परियोजना पदाधिकारी/अभिकर्ता
के० डी० हेसालोंग परियोजना
PROJECT OFFICER/AGENT
K.D.H. PROJECT

Advance Copy for kind information: -

1) PCCF-Ed Nodal, Waste land Development Board Jharkhand, Ranch
2) IRO- Ranchi, MoEF&CC
3) RCCF Hazaribagh

Copy to:-

1) General Manager, N.K Area
2) General Manager, E&F, CCL
3) Office Copy

Annexure 1

385

कार्यालय अंचल अधिकारी, खलारी(राँची)

पत्रांक :– 48(ii)

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
खलारी,राँची।

सेवा मे,

महाप्रबंधक (M)परियोजना,
के0डी0एच0 OCP,
एन0के0एरिया।

दिनांकः– 21.01.2022

विषयः– Regarding issue of certificate of 42.37 ha GMJJ land is free from encroachments and encumbrances.

प्रसंगः– PO/KDH/Certificate/2021-22/235, Date-05.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मौजा– विश्रामपुर एवं करकट्टा का निम्नलिखित जंगल झाड़ी प्लॉट का अंचल अमीन द्वारा सत्यापन कराया गया। जिसकी प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार कुल 98.66 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं 6.03 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण पाया गया।

उपायुक्त राँची के पत्रांक 3090(ii), दिनांक 30.09.2015 के आलोक में उक्त भूमि पर 74 व्यक्तियों की जमाबंदी 1995 के पूर्व से चल रही है।

उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् उक्त भूमि पर कोई दावा लंबित नही है।

इस कार्यालय का पत्रांक 476, दिनांक 12.08.2015 के आलोक में सर्व सहमति से दिनांक 20.02.2015 को ग्राम सभा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी,
खलारी।
21/01/22

Scanned with CamScanner

384

सेवा में

श्रीमान अंचल अधिकारी

खलारी, राँची।

विषयः–मौजा विश्रामपुर और करकट्टा में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि रकबा 104.69 हे0 भूमि पर अतिकमण के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

प्रसंगः–PO/KDH/CERTIFICATE/2021-22/235

महाशय,

आपके अदेशानुसार मौजा विश्रामपुर और करकट्टा में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि रकबा 104.69 हे0 पर अतिकमण जाँच के लिए सरजमीन गया जिसका जाँच विवरण निम्नलिखित है

क0 स0	मौजा	खाता	प्लॉट	कुल रकबा	GMJJ	अतिक्रमण भूमि (रकबा लगभग एकड़ में)	अतिक्रमण मुक्त रकबा (एकड़ में)
1.	विश्रामपुर	41	399	47.42	22.32	----------	22.32
2.	विश्रामपुर	41	408	1.31	1.31	0.80 (24 घर)	0.51
3.	विश्रामपुर	41	835	0.08	0.08	----------	0.08
4.	विश्रामपुर	41	443	0.08	0.08	----------	0.08
5.	विश्रामपुर	41	553	10.80	3.44	0.05 (1 घर)	3.39
6.	विश्रामपुर	41	577	2.15	2.15	----------	2.15
7.	विश्रामपुर	41	516	53.12	19.45	2.30 (70 घर)	17.5
8.	करकट्टा	26	161	42	13.87	0.04 (1 घर)	13.83
9.	करकट्टा	26	184	100.75	30.75	2.24 (58 घर)	28.51
10.	करकट्टा	26	204	5	5	0.60 (15 घर)	4.40
11.	करकट्टा	26	347	19.59	6.24	----------	6.24
					कुल	6.03 एकड़	98.66 एकड़

अतः जॉच प्रतिवेदन श्रीमान को सूचनार्थ एवं अवश्यक करवाई हेतु समार्मित।

अंचल अमीन

खलारी

Scanned with CamScanner

270

(9)

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Jharkhand Office of the District Collector, Ranchi

.....

No. : 3090(ii) Dated 30-9-2015/WEL

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.II-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land and Gair Majaruwa Jungal Jhari proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **208.43 Acre** of forest land and **104.69 Acre** Gair Majaruwa Jungal Jhari land proposed to be diverted in favour of **C.C.L for KDH Expansion Project** in **Ranchi** district falls within jurisdiction of **Bishrampur** and **Karkatta** villages in **Khalari** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire land 208.43 Acre of forest and 104.69 Acre Gair Majaruwa Jungal Jhari area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II. It is mentioned that this certificate is subject to verification and subsequent acceptance (on finding jamabandi valid in verification process) of 74 jamabandis created prior to 1995 in the above mentioned land (Annexure- I).

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bishrampur** and Karkatta villages is enclosed as annexure I to annexure II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land and Gair Majaruwa Jungal Jhari land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Ends.: As above.

Divisional Forest Officer
Ranchi Forest Division, Ranchi

Deputy Commissioner,
Ranchi

269

14

कार्यालय अंचल अधिकारी, खलारी (राँची)

संख्याः 476

दिनांकः– 12/8/15

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि के.डी.एच विस्तारीकरण परियोजना के लिये ग्राम विश्रामपुर में प्रस्तावित 69.78 एकड़ वन भूमि तथा 48.83 एकड़ गैर मजरुआ खास / जंगल झाड़, कुल 118.61 एकड़ भूमि एवं ग्राम करकट्टा में प्रस्तावित 138.65 एकड़ वन भूमि तथा 55.86 एकड़ गैर मजरुआ खास / जंगल झाड़ी कुल 194.51 एकड़ भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गयी है। इस संबंध में की गयी बैठक से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही संलग्न है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि एवं गैर मजरुआ खास / जंगल झाड़ी अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया । परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा / मातृभाषा में ग्रामसभा को व्यख्यापित कर दी गयी है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि एवं गैर मजरुआ खास / जंगल झाड़ी अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्युनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(e) के अनुसार विशेष रुप से रक्षित किया गया है ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के दृारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि एवं गैर मजरुआ खास / जंगल झाडी अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रकिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्रामसभा दृारा इसपर सहमति व्यक्त की गयी है ।

6. गैर मजरुआ खास / जंगल झाड़ी भूमि पर पूर्व से चल रही जमाबंदीयों की सूचि परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है। वर्तमान में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं है।

7. मौजा विश्रामपूर में कुल तीन दावा प्राप्त थे, परन्तु अहर्ता पुरी नहीं करने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है।

12/8/15
अंचल निरीक्षक
खलारी (राँची)

12-8-15
अंचल अधिकारी,
खलारी ।

A. K. Dubey
Divisional Forest Officer
Ranchi Forest Division, Ranchi

C.M. (M) Project Officer
KDH Project